रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 1987/आश्विन 7, 1909
No. 488] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 1987/ASVINA 7, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1987

आदेश

का.आ. 868(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./87 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 218(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./78 तारीख 29 मार्च, 1978, द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) बज बज दक्षिण 24 परगना स्थित मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध तारीख 29 मार्च, 1987, से पांच वर्ष की अवधि के

लिये ग्रहण किया गया था और वैस्ट बंगाल फोरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 6-ए राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700013, को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार, ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे 30 सितम्बर, 1987 तक को जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये ऐसे बने रहने के लिये निदेश जारी किये थे। देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 334(अ)/18क/आई.डी.आर.ए., 83, तारीख 28 मार्च, 1983, सं. का. आ. 694(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83 तारीख 29 सितम्बर, 1983, सं. का०आ. 947(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 31 दिसम्बर, 1983, सं. का.आ. 465(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 जून, 1984, सं. का.आ. 971(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984 और सं. का.आ. 274(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./85, तारीख 29 मार्च, 1985, सं. का.आ. 142(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./86, तारीख 31 मार्च, 1986 और सं. का.आ. 269(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./87, तारीख 30 मार्च, 1987;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1988 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1988 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा.सं. 2(25)/74-सी.यू. एस.]

ए.वी. गोकाक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th September, 1987

ORDER

S.O. 868(E)|18A|IDRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 218(E)|18A|IDRA|78, dated the 29th March, 1978 (hereinafter

referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Alok Udyog Vanaspati and Plywood Limited, located at Budge Budge, South 24 Parganas, has been taken over for a period of five years with effect from 29th March, 1978, and The West Bengal Forest Development Corporation Limited, 6A Raja Subhodh Mallick Square, 7th Floor, Calcutta-700013 was appointed as the authorised controller.

And, whereas, the Central Government, being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid had issued directions for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1987 vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 234(E)|18A|IDRA|83, dated the 28th March, 1983, S.O. 694(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th September, 1983, S.O. 947(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st December, 1983, S.O. 465(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, S.O. No. 971(E)|18A|IDRA|84, dated the 29th December, 1984, S.O. 274(E)|18A|IDRA|85, dated the 29th March, 1985, S.O. 142(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986 and S.O. 269(E)|18A|IDRA|87, dated 30th March, 1987.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1988.

[File No. 2(25)|74-CUS]
A. V. GOKAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987